मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—::—

क्रमांक 85 / 16 / चार / ब–1 / 2018 भोपाल, दिनांक 23 / 01 / 2018

प्रति,

आयुक्त
कोष एवं लेखा
पर्यावास भवन, भोपाल।

विषयः—समेकित निधि के भारित मदों पर वित्त विभाग के प्रतिबन्धात्मक कार्यकारी निर्देश लागू न होने के संबध में ।

संदर्भः—इस कार्यालय का पत्र क्र.233 / 491 / ब–1 / 16 / चार दिनॉक 22.02.2016(संलग्न)

—::—

वित्त विभाग द्वारा संदर्भित पत्र से यह निर्देश दिये थे कि संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार पारित विनियोग अन्तर्गत समेकित निधि के भारित मदों पर वित्त विभाग के प्रतिबन्धात्मक कार्यकारी निर्देश लागू नहीं होंगे ।

2/ अतः उक्त तारतम्य में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यकारी प्रतिबन्धात्मक निर्देश समेकित निधि के भारित मदों पर लागू नहीं होंगे ।

तदनुसार सभी संबंधित कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।

(अजीत कुमार)
संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क्र0 86 / 16 / चार / ब–1 / 2018 भोपाल, दिनांक 23 / 01 / 2018

प्रतिलिपिः—

1— रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मध्यप्रदेश जबलपुर ।
2— राज्यपाल के प्रमुख सचिव भोपाल के कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 73–1 / हाहो / 2018 / 126, दिनांक 11 / 01 / 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल।
4— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
5— सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक२७३/५१/ब-१/चार भोपाल, दिनांक २२ /02/2016

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश।

विषय:- समेकित निधि को भारित मदों पर वित्त विभाग के प्रतिबंधात्मक कार्यकारी निर्देश लागू न होने संबंध में।

संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार राज्य की समेकित निधि से व्यय करने के पूर्व विनियोग अधिनियम पारित किया जाना आवश्यक है। विनियोग अधिनियम में समेकित निधि पर भारित व्यय शामिल करते हुये विधान सभा की अनुमति प्राप्त की जाती है। राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय विधायिका के द्वारा मतदान उपरांत पारित नहीं किये जाते हैं। ऐसे व्यय, जो राज्य की समेकित निधि पर भारित हैं, वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर मितव्ययता की दृष्टि से जारी कार्यकारी प्रतिबन्धात्मक निर्देशों की परिधि में नहीं आते हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे व्ययों पर वित्त विभाग के द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू नहीं हैं।

तद्नुसार सभी संबंधित कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।

अजीत
(ए. पी. श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक२७४/ ५१/ब-1/चार भोपाल, दिनांक २२ /02/2016

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग